उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
संख्या 1432 / व.ग्रा.वि. / 2001 / 530
देहरादून दिनांक 01.10.2001

कार्यालय आदेश

विषय: खण्ड विकास कार्यालयों व उसके परिसरों में सफाई, अभिलेखों का रखरखाव सूचना केन्द्रों को उपयोगी स्वरूप देना, कालातीत–अभिलेखों की वीडिंग इत्यादि।

मैंने 25 सितम्बर 2001 को विकास खंड कालसी का आकस्मिक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विकास खण्ड की सामान्य स्थिति दयनीय है. रिकार्ड अस्त–व्यस्त एवं धूल धूसरित है. सफाई की विकास खण्ड में कोई व्यवस्था नही थी. यहां तक खंड विकास अधिकारी की आलमारी तथा आलमारी के अन्दर रखे गये अभिलेख भी मैले कुचैले तथा अस्त–व्यस्त पाए गये.

2. विकास खण्ड का सूचना केन्द्र लम्बी अवधि से नहीं खुला प्रतीत हो रहा था. इस सूचना केन्द्र में किसी प्रकार का साहित्य अथवा पत्र पत्रिकाएं प्राप्त नहीं हुई. इसी प्रकार कार्यालय लिपिकों के पटल भी अस्त व्यस्त पाए गए. ऐसा प्रतीत होता है कि जनपद के किसी भी उच्च अधिकारी द्वारा इस विकास खण्ड का निरीक्षण नहीं किया गया. सम्भवतया ऐसी स्थिति अन्य विकास खंडो में भी होगी. कार्यालय के रख–रखाव के इस स्तर पर अत्यंत गम्भीर आपत्ति की जाती है.

3. विकास खण्डों के कार्यालयों की स्थिति सुव्यवस्थित एवं सुदृढ करने तथा उनको कार्यालय का उचित स्वरूप प्रदान करने हेतु समस्त मुख्य विकास अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आगामी 1 सप्ताह में युद्धस्तर पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को इस संबंध में कृत कार्यवाही से अवगत करायें.

4. उक्त के सन्दर्भ में समस्त जिला विकास अधिकारी परियोजना निदेशक तथा खण्ड विकास अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे समस्त विकास खण्डों में समुचित सफाई, कार्यालय अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखते हुये तथा एक कक्ष को सूचना केन्द्र के रूप में व्यवस्थित कर लें. इस कक्ष में किसानों के उपयोगार्थ साहित्य, पत्र–पत्रिकायें तथा पुस्तकों को कृषि विभाग, पशुपालन तथा उद्यान विभाग से प्राप्त कर रखा जाये।

5. जिन जनपदों में डास्प परियोजना संचालित है उनमें डास्प से भी सहायता प्राप्त कर ली जाय. इसी प्रकार विकास खंडों को भी स्वच्छ, व्यवस्थित तथा इनके सूचना केन्द्रों को भी कृषकों हेतु उपयोगी बनाने की तत्काल कार्यवाही कर ली जाय. मुख्य विकास अधिकारी अन्य वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा के सभी अधिकारी विकास खंडों के निरीक्षणों के समय उक्त बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें।

डा0 आर0एस0टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल.
2. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरांचल.
3. उपायुक्त (प्रशासन) ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज निदेशालय, उत्तरांचल पौड़ी.
4. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तरांचल.
5. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रभारी विभागाध्यक्ष वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त के इस निर्देश के साथ कि अपने अपने मुख्यालय कार्यालय तक अधीनस्थ संस्थाओं/अधिकारियों में इस न्यूनतम आवश्यकता का अनिवार्य रूप से परिपालन कराना सुनिश्चित करें ।
6. सचिव/अपर सचिव वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा सचिवालय।

डा0 आर0एस0टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त